रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2011/फाल्गुन 2, 1932
No. 352] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2011/PHALGUNA 2, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

का.आ. 408(अ).—यतः, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ढेकलापारा टी कं० लि० (परिसमापन की ओर) तथा चाय बोर्ड, 14 बी टी एम सरणी, कोलकाता बनाम सरकारी परिसमापक, जहाँ कलकत्ता उच्च न्यायालय ढेकलापारा टी कं० लि० (परिसमापन की ओर) का परिसमापक है, दिनांक 20.12.2010 के आदेश के जरिए यह निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ख की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 ड. की उप धारा (1) के अंतर्गत ढेकलापारा टी एस्टेट को चलाए जाने अथवा पुनः शुरू करने की संभावना की जाँच करे और माह दिसम्बर, 2010 के बीसवें दिन से तीन माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

2. यतः, माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 16ड. की उपधारा (1) के अंतर्गत मामले पर विचार करते समय केन्द्र सरकार, आवेदक शेयरधारक श्री गोपीनाथ दास, जिनके कंपनी में 75.6 प्रतिशत शेयर हैं, द्वारा टी एस्टेट को स्वयं अथवा अन्य अंशदाताओं, ऋणदाताओं इत्यादि के साथ मिल कर पुनः शुरू करने की क्षमता पर कारणों सहित विचार करे;

3. यतः, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसे विचार की प्रक्रिया पूरी हो जाने और रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद चाय बोर्ड द्वारा नए आवेदन के जरिए एस्टेट को चलाए जाने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को उक्त टी एस्टेट औपचारिक रूप से सौंपने के आदेशों के लिए न्यायालय से आवेदन किया जाएगा;

4. अतः अब चाय बोर्ड अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ख की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल राज्य स्थित ढेकलापारा टी एस्टेट को चलाने अथवा पुनः शुरू करने की संभावना की जाँच करने के लिए एतद्द्वारा एक समिति गठित करती है जिसमें श्रीमती रोशनी सेन, उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड, श्री जी बोरया, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड और श्री राजीव रॉय, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, चाय बोर्ड शामिल होंगे ।

5. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

क. समिति निम्नलिखित मामलों की सम्पूर्ण जाँच करेगी अर्थातः-

(i) किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ड. की उपधारा (1) के अंतर्गत ढेकलापारा टी एस्टेट को चलाए जाने या पुनः शुरू किए जाने की संभावना;

(ii) कंपनी में प्रमुख शेयरधारक आवेदक श्री गोपीनाथ दास की स्वयं अथवा अन्य अंशदाताओं, ऋणदाताओं आदि के साथ मिलकर ढेकलापारा टी एस्टेट को पुनः शुरू करने की क्षमता एवं उसके कारण ।

ख. समिति जाँच में सहायता के लिए जाँच से संबंधित किसी मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकती है ।

ग. समिति अपनी रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च, 2011 तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

[फा. सं. टी-29014/6/2008-बागान-क]

विजयलक्ष्मी जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2011

S.O. 408(E).—WHERE AS, the Hon'ble High Court of Calcutta in C.A. No. 167 of 2008 in the matter of Dheklapara Tea Co. Ltd. (In Liquidation) and Tea Board, 14 BTM Sarani, Kolkata Vs. Official Liquidator, High Court at Calcutta being the Liquidator of Dheklapara Tea Co. Ltd. (In Liquidation) vide order dated 20.12.2010 has directed that the Central Government under sub-section (2) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) may investigate the possibility of running or restarting the Dheklapara Tea Estate under sub-section (1) of section 16E of the said Act by any person or body and submit report within a period of three months from the day of 20th December, 2010;

2. WHERE AS, the Hon'ble High Court has also directed that in considering the case under sub-section (1) of section 16E of the said Act, the Central Government is to consider the ability of the applicant shareholder Shri Gopinath Das, who holds 75.6% shares in the company, to restart the Tea Estate by himself or with other contributors, creditors and so on with reasons;

3. WHERE AS, the Hon'ble High Court has directed that after such consideration is complete and report prepared, the Tea Board may apply to the Court by way of a fresh application for orders for formal handing over of the Tea Estate to any person or body of persons selected by it for running the Estate;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints a Committee comprising Mrs. Roshni Sen, Deputy Chairman, Tea Board, Shri G. Boriah, Director of Tea Development, Tea Board and Shri Rajeev Roy, Financial Advisor & Chief Accounts Officer, Tea Board to investigate into the possibility of running or restarting the Dheklapara Tea Estate in the State of West Bengal.

5. The terms of reference to the Committee shall be as follows, namely:-

A. The Committee shall make a full and complete investigation into the affairs relating to the following matters, namely:-

(i) the possibility of running or restarting the Dheklapara Tea Estate under sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) by any person or body;

(ii) the ability of the applicant shareholder, Shri Gopinath Das, holding major shares in the company to restart the Dheklapara Tea Estate by himself or with other contributors, creditors and so on with reasons.

B. The Committee may choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relating to the investigation to assist it in holding the investigation.

C. The Committee shall submit its report by 15th March, 2011 to the Central Government.

[F. No. T-29014/6/2008-Plant-A]
VIJAYLAKSHMI JOSHI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.